# वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव

## (भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

### भाग–4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाए)

आवेदनकर्ता, कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग अम्बिकापुर द्वारा बलरामपुर वनमंडल अंतर्गत 92.455 हे. एवं सरगुजा वनमण्डल अंतर्गत 9.869 हे. वन भूमि कॉरीडोर परियोजना अंतर्गत अम्बिकापुर–रामानुजगंज–गढ़वा, राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.–343 निर्माण के लिए कुल 102.324 हे. आरक्षित, संरक्षित एवं राजस्व वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत आवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया है।

**वनमंडलवार वन भूमि का विवरण निम्नानुसार हैः–**

| क्र. | वनमंडल | आरक्षित वन (हे.) | संरक्षित वन (हे.) | राजस्व वन भूमि (हे.) | योग |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | बलरामपुर | 6.376 | 80.182 | 5.897 | 92.455 |
| 2 | सरगुजा | – | 8.079 | 1.790 | 9.869 |
| **योग** | | **6.376** | **88.261** | **7.687** | **102.324** |

उपरोक्तानुसार प्रस्ताव में दर्शाये अनुसार मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त, अंबिकापुर के अभिमत से सहमत होते हुए अम्बिकापुर–रामानुजगंज–गढ़वा, राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.–343 निर्माण के लिए 102.324 हे. वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

दिनांकः 17/01/2023
स्थानः अरण्य भवन, नवा रायपुर

17/1/2023

(संजय शुक्ला)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख
छत्तीसगढ़

Form -4 (Vividh) 2023 (1)

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़
अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉपलेक्स,अटल नगर/ रायपुर – 492002
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)
दूरभाष: 0771 – 2512840 ई – मेल: apccf-lm.cg@gov.in


क्र./भू–प्रबंध/विविध/115–845/246 रायपुर, दिनांक 17/01/2023

**प्रति,**

**प्रमुख सचिव**
छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर

**विषयः** – **बलरामपुर जिले के बलरामपुर तथा सरगुजा जिले के सरगुजा वन मंडल अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु Widening of Existing Road from Ambikapur to Ramanujganj 2 Lane / 4 Lane National Highway 343 in the State of Chhattisgarh हेतु क्षेत्रफल 102.324 हे. वन एवं राजस्व वन भूमि व्यपवर्तन बाबत। (पंजीयन कं. FP/CG/Road/ 147299/ 2021)**

**संदर्भः** मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त, अंबिकापुर वृत्त का पत्र क्रमांक/ न. क्र. 152/ 3364/ 2022 दिनांक 25.12.2022 एवं पत्र क्रमांक/ 119 दिनांक 09.01.2023

–0–

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र–2 द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट अनुसार मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त द्वारा निर्धारित प्रपत्र–3 में अनुशंसा उपरांत वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। नोडल कार्यालय के परीक्षण उपरांत प्रस्ताव का चेकलिस्ट बिन्दु क्रमांकवार विवरण निम्नानुसार हैः–

**बि.क्र. 1. आवेदक विभाग का मांग पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 01 से 11)** – आवेदनकर्ता, कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि. राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग अम्बिकापुर द्वारा बलरामपुर वनमंडल अंतर्गत 92.455 हे. एवं सरगुजा वनमण्डल अंतर्गत 9.869 हे. वन भूमि कॉरीडोर परियोजना अंतर्गत अम्बिकापुर–रामानुजगंज–गढ़वा, राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.–343 निर्माण के लिए वन भूमि व्यपवर्तन हेतु कुल 102.324 हे. आरक्षित, संरक्षित एवं राजस्व वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत आवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया है।

**वनमंडलवार वन भूमि का विवरण निम्नानुसार हैः–**

| क्र. | वनमंडल | आरक्षित वन (हे.) | संरक्षित वन (हे.) | राजस्व वन भूमि (हे.) | योग |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | बलरामपुर | 6.376 | 80.182 | 5.897 | **92.455** |
| 2 | सरगुजा | – | 8.079 | 1.790 | **9.869** |
| योग | | **6.376** | **88.261** | **7.687** | **102.324** |

**बि.क्र. 2. प्रपत्र–I में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक) (प्रस्ताव पृष्ठ 12 से 16)** – वनमंडलाधिकारी/नोडल अधिकारी बलरामपुर वनमण्डल द्वारा रजिस्ट्रेशन क्रमांक – FP/CG/ROAD/147299/2021 आबंटित होने का उल्लेख किया गया है जिसकी पुष्टि इस कार्यालय के पत्र दिनांक 09.12.2021 के आधार पर की जाती है। पंजीयन शुल्क 6000 एवं प्रसंस्करण शुल्क 58,000 रूपये जमा कराया गया है।

**बि.क्र. 3. वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 17 से 20)** – कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि. राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग अम्बिकापुर द्वारा बलरामपुर वनमंडल अंतर्गत 92.455 हे. एवं सरगुजा वनमण्डल अंतर्गत 9.869 हे. वनभूमि कॉरीडोर परियोजना अंतर्गत अम्बिकापुर–रामानुजगंज–गढ़वा, राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.–343 निर्माण के लिए वन भूमि व्यपवर्तन हेतु कुल 102.324 हे. आरक्षित, संरक्षित एवं राजस्व वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत आवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया है।

**बि.क्र. 4. गैर वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 21 से 24)** – कॉरीडोर परियोजना अंतर्गत अम्बिकापुर–रामानुजगंज–गढ़वा, राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.–343 निर्माण हेतु वनमंडलवार निम्नानुसार गैर वन भूमि प्रभावित हो रही है:–

| क्र. | वनमंडल | गैर वनभूमि का विवरण (हे. में) |
|---|---|---|
| 1 | बलरामपुर | 65.880 |
| 2 | सरगुजा | 51.728 |
| योग | | **117.608** |

**बि.क्र. 5. प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50000 स्केल पर (प्रस्ताव पृष्ठ 510 से 519)** – प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मानचित्र संलग्न है।

**बि.क्र. 6. वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप (प्रस्ताव पृष्ठ 478 से 510)**– वन क्षेत्र का इंडेक्स मैप संलग्न है।

**बि.क्र. 7. प्रपत्र– 4 में प्रस्ताव (प्रस्ताव पृष्ठ 29 से 51)**–प्रपत्र–4 में व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित बलरामपुर वनमंडल अंतर्गत 92.455 हे. एवं सरगुजा वनमण्डल अंतर्गत 9.869 हे. वनभूमि कॉरीडोर परियोजना अंतर्गत अम्बिकापुर–रामानुजगंज–गढ़वा, राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.–343 निर्माण के लिए वनभूमि व्यपवर्तन हेतु कुल 102.324 हे. के लिए परियोजना की प्रशासकीय लागत **765.65 करोड़** बतायी गई है।

**बि.क्र. 8. प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप (प्रस्ताव पृष्ठ 52 से 53)**– बलरामपुर वनमंडल अंतर्गत 92.455 हे. एवं सरगुजा वनमण्डल अंतर्गत 9.869 हे. वनभूमि कॉरीडोर परियोजना अंतर्गत अम्बिकापुर–रामानुजगंज–गढ़वा, राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.–343 निर्माण के लिए वन भूमि व्यपवर्तन हेतु कुल 102.324 हे. वन भूमि के लिए प्रस्ताव का **विस्तृत टीप संलग्न है।**

**बि.क्र. 9. वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 54 से 57)** – यूजर एजेंसी का वचन पत्र संलग्न है।

**बि.क्र. 10. न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 58 से 63)** – प्रस्तावित वन क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है। यूजर एजेंसी का वचन पत्र संलग्न है।

**बि.क्र. 11. पर्यावरण संरक्षण स्वीकृत प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 60 से 65)** – भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की प्रति संलग्न है।

**बि.क्र. 12. वृक्ष विदोहन विवरण (प्रपत्र– अ एवं ब में) (प्रस्ताव पृष्ठ 66 से 79)** – आवेदित क्षेत्र में विदोहित होने वाले वृक्षों की संख्या वनमंडलवार निम्नानुसार है:–

| क्र. | वनमंडल | साईट क्वालिटी | विदोहित होने वाले वृक्षों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | बलरामपुर | IVa & IVb | 14551 |
| 2 | सरगुजा | III & IV | 578 |
| योग | | | 15129 |

**बि.क्र. 13. कास्ट/बेनिफिट एनालिसिस (प्रस्ताव पृष्ठ 80 से 86)**–परियोजना का कास्ट बेनीफिट एनालिसिस संलग्न है जो वन मंडलाधिकारी, सरगुजा एवं बलरामपुर वन मंडल द्वारा हस्ताक्षरित है।

**बि.क्र. 14. – चयनित गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि (पंचशाला खसरा की नकल, मानचित्र, सक्षम अधिकारी का हस्तांतरण आदेश) – राजस्व वन क्षेत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 87)** – प्रस्ताव में वैकल्पिक वृक्षारोपण परियोजना हेतु गैर वन भूमि/निजी भूमि प्रस्तावित नहीं है। आवश्यकता नही है।

**बि.क्र. 15. गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा (प्रस्ताव पृष्ठ 88)** – प्रस्तावित परियोजना हेतु गैर वनक्षेत्र में वैकल्पिक वृक्षारोपण प्रस्तावित नहीं होने के कारण आवश्यक नहीं।

**बि.क्र. 16. स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना (प्रस्ताव पृष्ठ 89 से 107 (ए) तक)** – आवेदित वन भूमि बलरामपुर वनमंडल अंतर्गत 92.455 हे. एवं सरगुजा वनमण्डल अंतर्गत 9.869 हे. वनभूमि कॉरीडोर परियोजना अंतर्गत अम्बिकापुर–रामानुजगंज–गढ़वा, राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.–343 निर्माण के लिए वनभूमि व्यपवर्तन हेतु कुल 102.324 हे. के एवज में दुगुने बिगड़े वन भूमि बलरामपुर वनमंडल के धमनी परिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक पी 889 में रकबा 134.910 हे., वनपरिक्षेत्र चांदो के कक्ष क्रमांक पी 3281 में रकबा 60.000 हे. एवं सूरजपुर वनमण्डल अंतर्गत वनपरिक्षेत्र रामानुजनगर के राजस्व वन भूमि खसरा नम्बर 35 में 11.274 हे., कुल वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु रकबा 206.184 हे. में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिये प्रस्तावित है। 10 वर्षीय सिंचित परियोजना प्रतिवेदन 8,78,787.00/– प्रति हे. की दर से तैयार किया गया है। वनखण्डवार, कक्षवार एवं रकबावार जानकारी प्रस्ताव में संलग्न है।

**बि.क्र. 17. वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 108 से 112)**– वैकल्पिक वृक्षारोपण वन मंडलाधिकारी, बलरामपुर एवं सूरजपुर वनमण्डल का उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न है।

**बि.क्र. 18. अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यो का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 113, 114)** – वनमंडलाधिकारी बलरामपुर, सरगुजा वनमण्डल एवं आवेदक संस्थान के प्रतिवेदन अनुसार वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।

**बि.क्र. 19. अधिनियम उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 115 से 116)** – बिन्दु क्रमांक 18 के आलोक में निरंक है।

**बि.क्र. 20. अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध प्रस्तावित कार्यवाही (प्रस्ताव पृष्ठ 117 से 118)** – बिन्दु क्रमांक 18 के आलोक में निरंक है।

**बि.क्र. 21. वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 119 से 124)** – आवेदित वन भूमि बलरामपुर वनमंडल अंतर्गत 92.455 हे. एवं सरगुजा वनमण्डल अंतर्गत 9.869 हे. वनभूमि कॉरीडोर परियोजना अंतर्गत अम्बिकापुर–रामानुजगंज–गढ़वा, राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.–343 निर्माण के लिए वनभूमि व्यपवर्तन हेतु कुल 102.324 हे. के एवज में दुगुने बिगड़े वन भूमि बलरामपुर वनमंडल के धमनी परिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक पी 889 में रकबा 134.910 हे., वनपरिक्षेत्र चांदो के कक्ष क्रमांक पी 3281 में रकबा 60.000 हे. एवं सूरजपुर वनमण्डल

**अंतर्गत वन परिक्षेत्र रामानुजनगर के राजस्व वन भूमि खसरा नम्बर 35 में 11.774 हे., कुल वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु रकबा 206.184 हे. में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिये प्रस्तावित है किया गया है। प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण परियोजना भारत सरकार का होने के कारण मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन के अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।**

बि.क्र. 22. कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 125 एवं 126) – प्रस्ताव राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण से संबंधित होने के कारण लागू नहीं। प्रमाण पत्र संलग्न है।

**बि.क्र. 23. रिक्लेमेशन प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 127–128)** – प्रस्ताव खनन से संबंधित न होने के कारण रिक्लेमेशन प्लान की आवश्यकता नहीं है। तदाशय का वन मंडलाधिकारी, सरगुजा, बलरामपुर एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है।

**बि.क्र. 24. माईनिंग प्लान IBM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल खनन प्रकरण में) (प्रस्ताव पृष्ठ 129 से 130)**– प्रस्ताव खनन से संबंधित न होने के कारण रिक्लेमेशन प्लान की आवश्यकता नहीं है। तदाशय का वन मंडलाधिकारी, बलरामपुर, सरगुजा एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है।

**बि.क्र. 25. व्यवस्थापन प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 131 से 132)** – प्रस्ताव में किसी को उक्त क्षेत्र में से हटाया नहीं गया है। अतः व्यवस्थापन प्लान की आवश्यकता नहीं है। तदाशय का वन मंडलाधिकारी, बलरामपुर, सरगुजा एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है।

**बि.क्र. 26. वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र I से IV तक) (प्रस्ताव पृष्ठ 133 से 149)** – भाग–2 पर वन मंडलाधिकारी, बलरामपुर वनमंडल द्वारा दिनांक 26.11.2022 एवं सरगुजा वनमण्डल द्वारा दिनांक 17.09.2022 को प्रस्ताव की स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। वनमंडलाधिकारी बलरामपुर एवं सरगुजा वनमण्डल के अनुशंसा के आधार पर मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त द्वारा दिनांक 21.12.2022 को प्रस्ताव पर अनुशंसा की गई है।

**बि.क्र. 27. ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 152 से 156)** – व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व का स्थल नहीं है जिससे संबंधित कलेक्टर बलरामपुर, सरगुजा एवं सूरजपुर का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।

**बि.क्र. 28. संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 157 से 227)** – ग्राम पंचायतों का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।

**बि.क्र. 29. जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे. में) (प्रस्ताव पृष्ठ 228 से 229)** – जिलेवार जानकारी निम्नानुसार है:–

| क्र. | जिले का नाम | जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे. में) |
|---|---|---|
| 1 | बलरामपुर | 305195.984 |
| 2 | सरगुजा | 148878.991 |
| | योग | **454074.975** |

**बि.क्र. 30. व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में (प्रस्ताव पृष्ठ 230 से 232)** – जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित वन भूमि का जिलेवार रकबा निम्नानुसार है:–

| क्र. | जिले का नाम | स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित वन भूमि का रकबा (रकबा हे. में) |
|---|---|---|
| 1 | बलरामपुर | 1684.238 |
| 2 | सरगुजा | 3313.124 |
| | योग | **4997.362** |

बि.क्र. 31. व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे. में (प्रस्ताव पृष्ठ 233 से 234) – जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे इसी श्रेणी की कुल व्यपवर्तित वन भूमि का जिलेवार रकबा निम्नानुसार है:–

| क्र. | जिले का नाम | कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा (रकबा हे. में) |
|---|---|---|
| 1 | बलरामपुर | 10.729 |
| 2 | सरगुजा | 64.589 |
| | योग | **75.318** |

**बि.क्र. 32. प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी (प्रस्ताव पृष्ठ 235 से 237)** – मार्ग का चौड़ीकरण/उन्नयन 110 कि.मी. में प्रस्तावित है। जिसमें 62.700 कि.मी. के बाद 22.670 कि.मी. सेमरसोंत अभ्यारण्य क्षेत्र आता है, तद्पश्चात् 85.370 कि.मी. के बाद पुनः वनमण्डल बलरामपुर का कार्य क्षेत्र प्रारंभ होता है। सेमरसोंत अभ्यारण्य अंतर्गत 22.670 कि.मी. मार्ग इस प्रस्ताव में सम्मिलित नही किया गया है। इस तरह प्रस्तावित मार्ग सेमरसोंत अभ्यारण्य क्षेत्र से होकर गुजरता है। प्रस्तावित मार्ग अंतर्गत वन परिक्षेत्र राजपुर के ग्राम चांची जो 31.100 से 32.100 से 53.800 कि.मी. तक जंगली हाथियों के विचरण क्षेत्र अंतर्गत आता है। इस तरह उक्त मार्ग निर्माण में 03 अंडरपास/ओव्हरपास बनाया जाना वन मंडलाधिकारी, बलरामपुर द्वारा आवेदित परियोजना में प्रस्तावित किया गया है। 03 अंडरपास/ओव्हरपास निर्माण हेतु आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।

सरगुजा वन मंडल अंतर्गत प्रस्तावित क्षेत्र के कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कॉरीडोर स्थित नहीं है। वन मंडलाधिकारी, सरगुजा वन मंडल का प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है।

ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने का प्रमाण पत्र संलग्न है।

**बि.क्र. 33. 15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन (प्रस्ताव पृष्ठ 238 से 239)** – खनन प्रकरण नहीं होने से आवश्यकता नहीं है। तदाशय का वन मंडलाधिकारी, बलरामपुर, सरगुजा एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है।

**बि.क्र. 34. वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 240 से 245)** – वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण संबंधित कलेक्टर बलरामपुर का दिनांक 12.01.2022 से, कलेक्टर सूरजपुर का दिनांक 10.01.2022 से एवं कलेक्टर जिला सरगुजा का दिनांक 03.02.2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।

**बि.क्र. 35. राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 246 से 251)** – राजस्व वन भूमि हेतु प्रकरण अंतर्गत कलेक्टर बलरामपुर का दिनांक 12.01.2022 से एवं कलेक्टर सरगुजा का दिनांक 03.02.2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।

**बि.क्र. 36. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 252 से 255)** – यूजर एजेंसी द्वारा दिया गया वचन पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।

**बि.क्र. 37. Clearance under FC Act, 1980: Deposition of funds with the Ad-hoc CAMPA: Remittances to precede 2nd stage clearance (प्रस्ताव पृष्ठ 256 से 257)** – यूजर एजेंसी द्वारा दिया गया वचन पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।

**बि.क्र. 38. A detailed note on Soil Productivity or the lack of it (प्रस्ताव पृष्ठ 258 से 259)** – आवेदित भूमि लाल रंग की मुरमी मिट्टी है जिसमें भू–क्षरण की संभावना नही है। तदाशय का वन मंडलाधिकारी, बलरामपुर, सरगुजा एवं यूजर एजेंसी का संयुक्त प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है।

**बि.क्र. 39. परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 260 से 261)** – परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का वन मंडलाधिकारी, बलरामपुर, सरगुजा एवं आवेदक संस्थान का प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।

**बि.क्र. 40. Diversion of large area (more then 500 ha.) of forest land for mining and other non-forestry purposes under the Forest (Conservation) Act 1980 (प्रस्ताव पृष्ठ 262 से 263)** – केवल 500 हे. से अधिक के प्रकरण में लागू है। अतः आवश्यकता नहीं है।

**बि.क्र. 41. पंजीयन क्रमांक – पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 264 से 265)** – बिन्दु क्रमांक –2 पर विस्तृत विवरण दिया गया है।

**बि.क्र. 42. वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत (प्रस्ताव पृष्ठ 266 से 267)** – वन्यप्राणी प्रबंधन की आवश्यकता नही होने संबंधित वन मंडलाधिकारी, बलरामपुर, सरगुजा एवं यूजर एजेंसी का संयुक्त प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 43. विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 268 से 269) – प्रकरण विद्युत पारेषण लाईन से संबंधित नहीं होने के कारण लागू नहीं होगा।

**बि.क्र. 44. प्रस्ताव मे अन्य (Misc) कमियों का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 478 से 519)**– प्रस्ताव में आवश्यक दस्तावेज/नक्शे संलग्न है।

प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमों/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेबसाईट में **www.parivesh.nic.in** पर अपलोड किया गया है।

उपरोक्त विवरण के आधार पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त, अंबिकापुर द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त, अंबिकापुर के उक्त अनुशंसा के आधार पर प्रस्ताव से सहमत होते हुए, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़ के अनुशंसा निर्धारित प्रपत्र भाग–4 सहित वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रथम चरण की स्वीकृति के लिये प्रस्ताव 2 प्रतियों में संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः–
1. प्रस्ताव 2 प्रतियों में
2. डी.जी.पी.एस. सर्वे रिर्पोट 2 प्रतियों में
3. टाईम लाईन
4. प्र.मु.व. संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित भाग – 4

(प्र.मु.व.संरक्षक द्वारा अनुमोदित)

अ.प्र.मु.व.सं (भू – प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध/115–845/147 रायपुर, दिनांक 17/01/2023

**प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः**

1. **मुख्य वन संरक्षक**, सरगुजा वृत्त, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़।
2. **वनमंडलाधिकारी**, बलरामपुर (नोडल) / सरगुजा वन मंडल, छत्तीसगढ़।
3. **कार्यपालन अभियंता**, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़।

अ.प्र.मु.व.सं (भू – प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़